

(ख) क्या बीकानेर में ऐसे कर्मचारियों की संख्या चार है; और

(ग) क्या श्री गंगानगर में कुल मिलाकर 14 रेल डिब्बे हैं जिनके लिए कर्मचारियों को आरक्षण करना पड़ता है और इस काम के लिए कम से कम चार कर्मचारी होने चाहिए और यदि हां, तो क्या वहां कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर चार कर दी जायेगी और यदि हां, तो कब से ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) बीकानेर में पांच पूछताछ एवं आरक्षण लिपिकों की व्यवस्था की गयी है ।

(ग) जी हां । श्री गंगानगर में पूछताछ एवं आरक्षण लिपिकों के दो और पदों के सृजन के प्रस्ताव पर रेल प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

आसाम में मेल का साहेबपुर कमाल जंक्शन पर रुकना

5587. श्री राम विलास पासवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4-अप और 3-डाऊन आसाम सेल पूर्वोत्तर रेलवे में साहेबपुर कमाल जंक्शन पर गत अनेक वर्षों से रुकती रही है ;

(ख) क्या यह गाड़ी अब मंत्रालय के आदेशानुसार उक्त जंक्शन पर नहीं रुकती है; और

(ग) क्या लोगों की आशाओं का आदर करते हुए सरकार का विचार उक्त गाड़ी को उस स्टेशन पर खड़ी करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, 1-10-77 से पहले ।

(ख) और (ग). 1-4-78 से साहिबपुर कमाल जंक्शन पर 3/4 आसाम मेल गाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था की गयी है ।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक गुणों के विरुद्ध मामले

5588. श्री रामकिशन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के अन्तर्गत कितने औद्योगिक गुणों के विरुद्ध मामले दायर किये गये थे और क्या जांच पड़ताल के बाद जिन उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी उनकी एक सूची सभा पटल पर रखी जायगी ; और

(ख) क्या उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत कुछ मामले जांच कार्य के पूरा होने से पूर्व ही वापस ले लिए गए थे और यदि हां तो उसकी सूची क्या है और उसके क्या कारण है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) शब्द "औद्योगिक समूह" की एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 में, परिभाषा नहीं दी गई है । वर्तमान औद्योगिक नीति के अनुसार वे सभी उपक्रम जिनके पास स्वयं की अथवा अपने सम्बन्धित उपक्रमों सहित 20 करोड़ रु० से कम नहीं की, की परिसम्पत्तियां हों, अथवा जो प्रभाव उपक्रम हों, एकाधिकार एवं निबंधकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं । ऐसी परिकल्पना है कि निर्देश "औद्योगिक समूह" का, तात्पर्य एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों से है । इस अधिनियम की धारा 10, 27 व 31 के अनुरूपण में 288